न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

क्रमांक: रीडर/2024/229 दिनांक :– 06.02.24

–: आदेश :–

मु. नं. 63/2024

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2023/165 दिनांक 29.01.2024 द्वारा अंकित किया कि प्रार्थी राउराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी नथाणियों का वास कुडला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मद्देनजर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम नथाणियों का वा पटवार हल्का कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 715/216, 717/229 व खसरा संख्या 718/229 रकबा क्रमश 0.0567, 2. 2743, 6.4992 व 2.1934 हैक्टेयर के सम्बन्ध में राउराम ने अपने पिता भूराराम पुत्र देराजराम जाति जाट के फौत होने पर खसरा संख्या 718/229 इसराराम पुत्र डूंगराराम से प्राप्त किया है। मूल खसरा संख्या 227, 216, 229 का सहमति विभाजन अनुसार तहसीलदार बाडमेर के आदेश क्रमांक राज/08/1206/–07 दिनांक 22.05.2008 को खातेदारान द्वारा विभाजन करवाया जिसका नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 24.06.208 को भरा गया। बाद विभाजन खसरा संख्या 715/216 रकबा 14.01 बीघा खसरा संख्या 227 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 717/229 रकबा 40.03 बीघा भूमि भूराराम पुत्र देराजराम के नाम दर्ज की गई। उक्त खसरा अनुसार बरंग दर्शाये गये जो नामान्तकरण की पुश्त में अंकित है परन्तु ऑनलाईन करते समय सेग्रीगेशन नक्शा में लिपिकीय त्रुटी से खसरा संख्या 717/229, 718/229, 716/229 की तरमीम गलत अंकित हो गई। अतः प्रार्थी राउराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी नथाणियों का वास कुडला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर अनुसार खसरा संख्या 717/229, 718/229, 716/229 की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र व तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत पत्र के संलग्न मौका फर्द व नक्शा में अंकित परिशिष्ठ 'अ' व 'बी' के अनुसार दुरुस्त किया जाना अंकित किया है। प्रार्थी राउराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी नथाणियों का वास कुडला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 717/229, 718/229, 716/229 की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ए' के अनुसार ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार ऑफलाईन रेकर्ड में दर्ज है। लिहाजा ग्राम नथाणियों का वा पटवार हल्का कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 717/229, 718/229, 716/229 की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारास पेश प्रार्थना–पत्र तथा पूर्व में किए गए विभाजन के अनुसार तरमीम नहीं होने के मद्देनजर ग्राम नथाणियों का वास पटवार हल्का कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 717/229, 718/229, 716/229 की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करावें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत की नक्शा परिशिष्ठ 'बी' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

संलग्न :– परिशिष्ठ 'बी'

(गोपाल जांगिड़)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर
दिनांक

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

क्रमांक: रीडर/2024/230–232

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी राउराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी नथाणियों का वास कुडला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर